न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—कमर चौधरी
आई०ए०एस०

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामा0 अपील सं0 01/2022

1. राजेश कुमार पुत्र कपूर चन्द
2. जितेन्द्र कुमार पुत्र कपूर चंद
जाति ब्राहमण निवासी खैरवाल तहसील दौसा जिला दौसा

..अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा
2. ईश्वर पुत्र कपूर चन्द जाति ब्राहमण निवासी खैरवाल तहसील दौसा जिला दौसा

..रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तरण सं0 67 दिनांक 02.06.1992 वाके ग्राम खैरवाल विरासत कपूर चन्द पुत्र घनश्याम

उपस्थित—1. श्री राजकुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता,
3. श्री मुकेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2 की ओर से

निर्णय दिनांकः 22.04.2022

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 02.06.1992 को ग्राम खैरवाल का नामान्तरण सं0 67 विरासत के आधार पर भरकर तस्दीक कर दिया गया। इसी नामान्तरण आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अपील का इकबालिया जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि अपीलांटस की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 619, 1067, 1507, 1694, 599/1955 कुल किता 5 रकबा 2.26 है0 वाके ग्राम खैरवाल में स्थित है। भूमि की खातेदारी साबिक में कपूर चन्द पुत्र धन्नालाल जाति ब्राहमण के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड थी। कपूरचन्द का स्वर्गवास हो जाने पर पटवारी हल्का ने कपूर चन्द की विरासत का नामांतरण कैम्प खैरवाल में राजू, ईश्वर, जीतू पि0 कपूर चन्द व राधा बेवा कपूर चन्द के नाम से तस्दीक कर दिया है। अपीलांटस की मां राधा देवी का स्वर्गवास हो गया है। राधा देवी अनपढ औरत थी, उसने अपीलांट संख्या 01 का प्यार का नाम राजू एवं अपीलांट संख्या 02 का नाम जीतू बताकर पटवारी ने नामान्तरण भर दिया, जबकि अपीलांट का वास्तविक नाम राजेश कुमार व जितेन्द्र कुमार है तथा समस्त दस्तावेजात में भी उनका नाम राजेश कुमार व जितेन्द्र कुमार है। जीतू उर्फ जितेन्द्र कुमार व राजू उर्फ राजेश कुमार दोनो एक ही व्यक्ति है। उक्त गलती महज अज्ञानतावश हुई है। अपीलांटस को उक्त गलती की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अब दिनांक 29.11.2021 को पटवारी हल्का से जमाबंदी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.05.19 16:17:50 IST
Reason: SelfAttested

...निरंतर 2 पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नकल लेने पर उक्त गलती की जानकारी हुई। इस पर अपीलांटस द्वारा प्रश्नगत नामांतरण की नकल लेने हेतु जिला अभिलेखागार में आवेदन किया, जिसकी नकल दिनांक 30.11.2021 को प्राप्त हुई। पटवारी हल्का एवं तहसीलदार ने नामान्तरण खोलने व तस्दीक करने से पूर्व अपीलांटस को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया बल्कि उक्त नामांतरण कैम्प में तस्दीक किया गया है। कैम्प में काफी भीड भाड रहती है, हस कारण से सही प्रकार से नामान्तरण की जांच नहीं की गई है। नामांतरण तस्दीक करने का सर्वप्रथम अधिकार ग्राम पंचायत को है, परन्तु उक्त नामांतरण कैम्प में तस्दीक किया गया है। इस संबंध में जानकारी होने पर अंदर मियाद दफा–5 कानून मियाद अधिनियम के प्रा0 पत्र के साथ अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामांतरण संख्या 67 विरासत वाके ग्राम खैरवाल तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 02.06.1992 को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांटस का नाम राजू के स्थान पर राजेश कुमार व जीतू के स्थान पर जितेन्द्र कुमार दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि तहसीलदार दौसा द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरण में सहवन से नाम राजेश कुमार के स्थान पर राजू व जितेन्द्र कुमार के स्थान पर जीतू दर्ज हो गया होगा। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को स्वयं को ध्यान में रखकर उक्त कार्यवाही नामांतरण तस्दीक होने से पूर्व में ही करवानी चाहिए थी, फिर भी यदि त्रुटि केवल अपीलांटस के नाम के हद तक ही है, तो तहसीलदार दौसा को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित होगा।

अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट संख्या 02 ने अपीलांटस का नाम राजू के स्थान पर राजेश कुमार व जीतू के स्थान पर जितेन्द्र कुमार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 02.06.1992 को ग्राम खैरवाल का नामान्तरकरण सं0 67 विरासत के आधार पर भरकर तस्दीक कर दिया गया। उक्त तस्दीक किये गये नामान्तरण में कपूर चन्द्र के फौत होने पर कपूर चन्द्र की विरासत राजू, ईश्वर, जीतू पि0 कपूर चन्द्र व मु. राधा बेवा कपूर चन्द्र दर्शायी गयी है और तदनुसार पटवारी हल्का ने कपूर चन्द्र के फोत होने पर उसके वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज कर वास्ते जॉच एवं आदेशार्थ पेश किया गया। जिसके आधार पर मुताबिक पटवारी रिपोर्ट जॉच गिरदावर के अंकित कर तहसीलदार दौसा ने दिनांक 02.06.1992 को नामान्तरण स्वीकार किया गया। उक्त नामान्तरण के खिलाफ अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील दायर कर, अपीलांटस का नाम राजू के स्थान पर राजेश कुमार व जीतू के स्थान पर जितेन्द्र कुमार दर्ज करने की इस्तदुआ की गई। रेस्पोडैन्ट संख्या 02 [illegible] कर अपीलांटस का सही नाम दुरूस्त किये जाने में कोई [illegible] जाहिर किया। अपीलांटस के हक में नामांतरण संख्या 67 दिनांक 02.06.1992 को तस्दीक किया गया है, जिसमें अपीलांटस का नाम राजू के स्थान पर राजेश कुमार व जीतू के स्थान पर जितेन्द्र कुमार गलत दर्ज कर दिया गया है। अपीलांटस का सही व वास्तविक नाम क्रमशः

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.05.19 16:17:50 IST
Reason: SelfAttested

...निरंतर 3 पर

राजेश कुमार व जितेन्द्र कुमार है। अपीलांट जितेन्द्र कुमार नामातरण तस्दीक करते समय नाबालिग भी था। पटवारी हलका द्वारा किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की जाकर अपीलांट का वास्तविक नाम राजेश कुमार व जितेन्द्र कुमार का प्यार का नाम राजू व जीतू नाम से गलत दर्ज कर दिया। अपीलांटस व रेस्पोडैन्ट संख्या 02 मृतक कपूर चन्द के कानूनी वारिसान है। अपीलांटस का सही नाम राजू के स्थान पर राजेश कुमार व जीतू के स्थान पर जितेन्द्र कुमार किये जाने में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को कोई आपत्ति नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपील के संलग्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी अंक तालिका एवं आधार कार्ड एवं भारत चुनाव आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र की प्रति आदि का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांटस का नाम राजेश कुमार पुत्र कपूर चन्द्र एवं जितेन्द्र कुमार पुत्र कपूर चन्द अंकित है। हम प्रकरण में न्यायालय द्वारा सीधे कोई कार्यवाही नहीं करते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटस आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 67 वाके ग्राम खैरवाल पर तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.06.1992 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आशय से तहसीलदार दौसा को प्रतिप्रषित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों एवं अपीलांटस द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जॉच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य/सुनवाई का अवसर प्रदान कर इस न्यायालय के निर्णय के आलोक में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 22 अप्रेल, 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.05.19 16:17:50 IST
Reason: SelfAttested